संख्या -80/भा0स0 42/84-2-2013-सीपी 41/90 टीसी

प्रेषक,

मुरलीधर दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2013

विषय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, उ0प्र0 के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-397/84-2-2010-सीपी 41/90 टीसी, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010, अनुस्मारक पत्र संख्या-भा0स0 63/84-2-2011-सीपी 41/90 टीसी, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 व संख्या 214/84-2-2012-सीपी 41/90 टीसी, दिनांक 30 मई, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1999 के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना सीपी 1005/29-8-98-सीपी 41/90, दिनांक 02 नवम्बर, 1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार उपभोक्ता संरक्षण राज्य परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध आपसे किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में वांछित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अत: कृपया इसे शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुरलीधर दुबे)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-80/भा0स0 42(1)/84-2-2013, तद-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र., 7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(मुरलीधर दुबे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in